

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जनवरी 2022—माघ 4, शक 1943

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

### कार्यालय, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2022

प्रारूप अठारह

नियम 19 (5) देखिए

धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन प्रारूप नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना

क्र. जविप्रा-तक.-2022-327.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारूप नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-03/JBP/2020 यथा ग्राम कुदवारी एवं गुरदा तैयार की गई है तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि इसके नियम 19 के उपनियम (6) के अनुसार उपरोक्त की प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. जबलपुर विकास प्राधिकरण 7ए सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर
2. नगर तथा ग्राम निवेश जिला जबलपुर ब्लाक क्रमांक 15, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर तथा प्राधिकरण की वेबसाईट [jdajabalpur.org](http://jdajabalpur.org) पर भी प्रकाशित है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास स्कीम के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय, में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन से तीस दिवस के भीतर प्राप्त होती है, पर विचार किया जाएगा।

प्रशांत श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी।

(G-75)

### सरनेम परिवर्तन

मैं, अभिषेक पाठक (Abhishek Pathak) पुत्र श्री मोहन किशोर शर्मा, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी-7, बृज कालोनी, करोंद, तहसील हजूर, जिला भोपाल पिन कोड-462038 के नाम से जाना पहचाना जाता हूँ एवं सरनेम (Pathak) लिखने लगा हूँ. पूर्व में मुझे अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) पुत्र श्री मोहन किशोर शर्मा के नाम से जाना पहचाना जाता था. अब मुझे हमेशा कर्के लिये अभिषेक पाठक (Abhishek Pathak) पुत्र श्री मोहन किशोर शर्मा के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(अभिषेक शर्मा)  
(पूर्व नाम/सरनेम)

नया नाम  
अभिषेक पाठक (Abhishek Pathak)  
(वर्तमान नाम/सरनेम)

(G-76)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम ब्रम्हर्षि शुक्ला पिता देवर्षि शुक्ला निवासी, ए. जी. 91 स्कीम नं. 54, विजय नगर, इन्दौर था, व्यक्तिगत कारणों से नाम परिवर्तित कर ब्रम्हर्षि सिंह कर लिया था, अब व्यक्तिगत कारणों से पुनः ब्रम्हर्षि शुक्ला के नाम से पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(ब्रम्हर्षि सिंह)

नया नाम  
(ब्रम्हर्षि शुक्ला)

(G-77)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हरी राम मेहतर पिता घनश्याम मेहतर, उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम-पोस्ट गैसाबाद, तहसील हटा, जिला-दमोह (म. प्र.) का निवासी हूँ. मैं वर्तमान में माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ, मेरे समस्त शैक्षणिक एवं समस्त दस्तावेजों और नौकरी में मेरी जाति मेहतर अंकित है जो कि मेरी जाति है, तथा मेरा उपनाम नाहर है, इस कारण मैं अपने समस्त दस्तावेजों एवं नौकरी में अपना उपनाम नाहर अंकित करने लगा हूँ, अतः मेरे समस्त अभिलेखों में मेरा नाम हरी राम मेहतर के स्थान पर हरी राम नाहर अंकित किया जाए और मुझे वर्तमान में हरी राम मेहतर के स्थान पर हरी राम नाहर के नाम से जाना, पहचाना एवं पढ़ा और लिखा जाए.

पुराना नाम  
(हरीराम मेहतर)

नया नाम  
(हरीराम नाहर)

(G-78)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, छगन शिवहरे, निवासी 386, विजय नगर झुग्गी, भोपाल जो कि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. जबकि मेरे रेलवे कुली के परिचय पत्र रिकार्ड में महेश शिवहरे दर्ज है. जो कि गलत है.

अतः मुझे मेरे सही नाम छगन शिवहरे के नाम से जाना व पहचाना जावे, सर्वसाधारण सूचित हो.

पुराना नाम  
(महेश शिवहरे)  
(MAHESH SHIVHARE)

नया नाम  
(छगन शिवहरे)  
(CHHAGAN SHIVHARE)

(G-79)

### नाम परिवर्तन

मैं, वरूण वेंकट पिता श्री वेंकट रत्नम उम्र 21 वर्ष निवासी प्लॉट नं. 289 फेस-II पार्ट I चेतन्य सिटी हनुमान मंदिर के पास मण्डला रोड तिलहरी, जबलपुर का निवासी हूँ.

मेरे स्वयं के आधार कार्ड व स्कूल के सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम वरूण वी दर्ज है जो कि गलत है मेरा सही नाम वरूण वेंकट है. मुझे सही नाम वरूण वेंकट के नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम  
( वरूण वी )

नया नाम  
( वरूण वेंकट )

(G-80)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता कि है पूर्व में मेरा नाम आशा ठाकुर था जो कि मेरे पति जनक सिंह ठाकुर के कार्यालय के ऑफिस रिकार्ड में मेरा नाम आशा ठाकुर अंकित है, जो कि मेरा घरेलू नाम है. मेरा सही नाम अनार बाई ठाकुर है भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम  
( आशा ठाकुर )

नया नाम  
( अनार बाई ठाकुर )

पता : ए-27 असरा एवेन्यू कमला नगर, नरेला शंकरी, भोपाल (म. प्र.).

(G-81)

### नाम परिवर्तन

मैं, वमसी वेंकट पिता श्री वेंकट रत्नम उम्र 19 वर्ष निवासी प्लॉट नं. 289 फेस-II पार्ट I चेतन्य सिटी हनुमान मंदिर के पास मण्डला रोड तिलहरी, जबलपुर का निवासी हूँ.

मेरे स्वयं के आधार कार्ड व स्कूल के सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम वी वमसी दर्ज है जो कि गलत है मेरा सही नाम वमसी वेंकट है. मुझे सही नाम वमसी वेंकट के नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम  
( वी वमसी )

नया नाम  
( वमसी वेंकट )

(G-82)

### नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद इसरार (Mohd Israr) आ. स्व. श्री मो इस्लाम 39 वर्ष, निवासी म. नं. 8 गली नं. 2 पोस्ट ऑफिस वाली गली कमला पार्क भोपाल म. प्र. का हूँ. मेरा सभी दस्तावेजों में भी यही नाम अंकित है किन्तु त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरा नाम मो. इसरार (Mohd Israr) के स्थान पर मो. असरार (Mohd Asrar) दर्ज हो गया था. इस त्रुटि के कारण मेरे पुत्र मो. मिस्बाह के St. Joseph Co. Ed. School Arera Colony Bhopal में प्रवेश के समय मेरा नाम मो. इसरार के स्थान पर मो. असरार (Mohd Asrar) अंकित हो गया है जो कि गलत है मेरा सही नाम मो. इसरार (Mohd Israr) है.

पुराना नाम  
( मो. असरार )

नया नाम  
( मो. इसरार )

(G-83)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा का पूर्व में नाम अन्नम्मा जार्ज था जिसे मेरी पक्षकारा ने अपना नाम परिवर्तित कर अन्नम्मा मालवीय (ANNAMMA MALVIYA) पत्नी श्री कृष्ण गोपाल मालवीय कर लिया है. अब मेरी पक्षकारा भविष्य में सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में एवं प्रमाण पत्रों एवं परिचय पत्रों एवं नौकरी संबंधित दस्तावेजों में अन्नम्मा मालवीय (ANNAMMA MALVIYA) पत्नी श्री कृष्ण गोपाल मालवीय के नाम से जानी व पहचानी जावेगी.

पुराना नाम  
(अन्नम्मा जार्ज)

नया नाम  
(अन्नम्मा मालवीय)

(G-84)

### नाम परिवर्तन

मैं, किरन रानी अग्रवाल, (आधार नंबर 611131015167) पत्नी श्री रवि कुमार अग्रवाल एवं पुत्री स्व. परषोत्तम फौजदार, निवासी-म. नं. 809 शुक्रवारी बजरिया, खेरमाई वार्ड, हनुमानताल, जिला-जबलपुर म. प्र. जिसे अब तक "गीता फौजदार" उर्फ गीता बाई अग्रवाल उर्फ किरन रानी अग्रवाल कहा जाता था अपने-अपने इस निश्चय को प्रकट करने के प्रयोजनार्थ घोषणा करती हूँ कि मैं, इसके पश्चात् समस्त समयों पर, समस्त अभिलेखों, विलेखों तथा लेखों में समस्त कार्यवाहियों तथा समव्यवहारों में, चाहे वे प्राईवेट हो या सरकारी हो और समस्त अवसरों पर अपने पूर्व नाम "गीता फौजदार" उर्फ "गीता बाई अग्रवाल" उर्फ "किरन रानी अग्रवाल" के स्थान पर तथा उसकी जगह "किरन रानी अग्रवाल" का ही उपयोग करूंगी और इसी नाम के हस्ताक्षर करूंगी. अतः मुझे किरन रानी अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम  
"गीता फौजदार"  
(उर्फ "गीता बाई अग्रवाल")  
उर्फ "किरन रानी अग्रवाल"

नया नाम  
(किरन रानी अग्रवाल)  
म. नं. 809 शुक्रवारी बजरिया, खेरमाई वार्ड,  
हनुमानताल, जिला-जबलपुर म. प्र.

(G-85)

### जाहिर सूचना

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, सांसारिक जीवन में मेरा नाम प्रेमलता पति रमेशचन्द्र जी ओरा निवासी गांधी चौक बडनगर में नाम व निवास था तथा दिनांक 22-4-2018 को मैंने स्वेच्छा से संयम जीवन (जैन दीक्षा) परम पूज्य आचार्य श्री नित्यसेन सूरीश्वरजी म. सा. के सानिध्य में पालीताना (गुजरात) में अंगीकार की है और मेरे द्वारा दीक्षा ग्रहण करने से आचार्य श्री नित्यसेन सूरीश्वरीजी म. सा. से मुझे मेरा नाम साध्वी प्रीतदर्शना श्रीजी मिला है. जिस अनुसार मैं, अब साध्वी प्रीतदर्शना श्रीजी के नाम से जानी जाती हूँ.

अतः मैं, साध्वी प्रीतदर्शना श्रीजी तथा सांसारिक जीवन का प्रेमलता पति रमेशचन्द्र जी ओरा ओरा निवासी गांधी चौक बडनगर एक ही हूँ. मुझे संयम जीवन में साध्वी प्रीतदर्शना श्रीजी के नाम से जानते व पहचानते व पुकारते हैं.

(साध्वी प्रीतदर्शना श्रीजी)  
वर्तमान निवास जैन उपाश्रय  
पाटन गुजरात.

(G-86)

## CHANGE OF NAME

I, Chaukiker Mohit Anand S/o Mr. Anand Chaukiker R/o Ward No. 8 New Govind Colony Amla. Have Changed My Name to Mohit Chaukiker for All Future Purpose.

Old Name  
(Chaukiker Mohit Anand)

New Name  
(Mohit Chaukiker)

(G 87)

## CHANGE OF NAME

I, Sunakshi Ghanani W/o Ritesh Ghanani residing at 155, Katju Colony, Indore (M. P.)-452007, do hereby declare that my maiden name is Naina Parmani D/o Gagandas Parmani and after marriage dated 14-02-1999 my name is Sunakshi Ghanani, I state that Naina Parmani and the Sunakshi Ghanani is the name of one and the same person and that is myself.

Old Name  
(Naina Parmani)

New Name  
(Sunakshi Ghanani)  
155, Katju Colony, Indore (M. P.)-452007.

(G 88)

## जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म सेंट जूड कालोनाईजर, एच. आई. जी. 368, एच. सेक्टर, अयोध्या नगर, भोपाल (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00043/9 2009-2010 दिनांक 18-05-2009 के भागीदारी विलेख दिनांकित 29-04-2009 में दिनांक 03-04-2018 तथा 17-02-2021 को संशोधन स्थापित किए गए हैं. भागीदारी विलेख दिनांकित 29-04-2009 में श्री जोन चेरियन, श्री रिचर्ड डिसल्ला, श्री जेरी पॉल, श्री राय जॉन तट्टा, श्री विपिन टोप्पो और श्री सजी थॉमस भागीदार थे. श्री सजी थॉमस ने स्वेच्छा से भागीदार फर्म से त्याग पत्र दे दिया तथा श्री विपिन टोप्पो और श्री राय जॉन तट्टा को भागीदारी विलेख दिनांकित 29-04-2009 की कण्डिका 17 में प्राप्त अधिकार का प्रयोग कर बहुमत के निर्णय से फर्म से निष्कासित कर दिया गया. जिसके पश्चात फर्म में निम्न तीन भागीदार हैं—श्री जोन चेरियन पुत्र स्व. चेरियन जोसफ, श्री रिचर्ड डिसल्ला पुत्र श्री एम. एफ. डिसल्ला, जेरी पॉल पुत्र श्री अरूण पॉल. भागीदारी विलेख दिनांकित 29-04-2009 की शर्तें संशोधित भागीदारी विलेख दिनांकित 03-04-2018 के समक्ष अप्रभावी कर दी गईं और फर्म का व्यवसाय संशोधित भागीदारी अनुबंध पत्र दिनांकित 03-04-2018 तथा 17-02-2021 के अनुसार किए जाने का अनुबंध भागीदारों ने निष्पादित किया. अतः आमजन सूचित होवें.

सेंट जूड कालोनाईजर  
जॉन चेरियन मैनेजिंग  
रिचर्ड डिसल्ला  
जेरी पॉल  
(पार्टनर).

(G 89)

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, M/s Chhaya Cashew Industries पंजीयन क्रमांक 01/01/03/0055/21 सन् 2021-2022 दिनांक 27 जून 2021 पंजीकृत फर्म है। जिसका मुख्य पता-प्लॉट नं. 80, साईं रेसीडेन्सी, बैरागढ़ चीचली, कोलार रोड, भोपाल है। यह कि, भागीदारी अभिलेख दिनांक 30 नवम्बर 2021 के अनुसार भागीदार सागर गुहे पिता रत्नाकर गुहे तथा सौरभ गुहे पिता रत्नाकर गुहे निवासी-प्लॉट नं. 80, साईं रेसीडेन्सी, बैरागढ़ चीचली, कोलार रोड, डी मार्ट के पीछे, भोपाल इस भागीदारी फर्म से दिनांक 30 नवम्बर 2021 को पृथक (अलग) हो गये हैं तथा नवीन भागीदार के रूप में सुरभि मलाचपुरे पुत्री श्रवन मलाचपुरेजी निवासी-221, गली नं. 5, ओझा कालोनी, नागदा, जिला उज्जैन को भागीदारी फर्म में दिनांक 30 नवम्बर 2021 को सम्मिलित किया गया है। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, उक्त फर्म से सम्बन्धित कोई लेन-देन, वाद-विवाद अथवा अन्य किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर मय दस्तावेज मेरे कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करें समय व्यतीत होने के पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति उक्त फर्म पर बंधनकारी नहीं होगी।

(M/s. CHHAYA CASHEW INDUSTRIES)

समीर गुहे

(भागीदार).

(G 90)

### जाहिर सूचना

यह है कि भागीदारी फर्म में, पूर्णागिरी फूड इण्डस्ट्रीज पता-574/25 बरूआ नगर, लहार रोड, भिण्ड म. प्र. है जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 02/43/04/00109/13 दिनांक 07-10-2013 जिसमें भागीदार क्र. 01 श्री अमित कुमार द्विवेदी पुत्र श्री संतोष कुमार द्विवेदी निवासी 574/25 बरूआ नगर लहार रोड, भिण्ड म. प्र., भागीदार क्र. 02 श्री कृष्ण कुमार सोनी पुत्र श्री चन्द्र सोनी, निवासी-2/39 नयापुरा, भिण्ड म. प्र. एवम् भागीदार क्र. 03 श्री अमित सिंह तोमर पुत्र श्री रूद्र सिंह तोमर (यह कि भागीदार क्र. 03 श्री अमित सिंह तोमर जी का आकस्मिक निधन होने के कारण फर्म में इनके सभी दायित्वों का निर्वहन और अधिकार का उपयोग इनकी पत्नी श्रीमती ऊषा तोमर पत्नी स्व. श्री अमित सिंह तोमर द्वारा किया जायेगा.) निवासी-152 वार्ड नं. 14, उमेरी रोड, फूप, भिण्ड म. प्र. है। यह कि दिनांक 29-12-2021 को भागीदार क्रं. 02 श्री कृष्ण कुमार सोनी पुत्र श्री चन्द्र सोनी निवासी-2/39 नयापुरा, भिण्ड म. प्र. एवं भागीदार क्रं. 03 श्री अमित सिंह तोमर पुत्र श्री रूद्र सिंह तोमर (यह कि भागीदार क्र. 03 श्री अमित सिंह तोमर जी का आकस्मिक निधन होने के कारण फर्म में इनके सभी दायित्वों का निर्वहन और अधिकार का उपयोग इनकी पत्नी श्रीमती ऊषा तोमर पत्नी स्व. श्री अमित सिंह तोमर द्वारा किया जायेगा.) निवासी-152 वार्ड नं. 14, उमेरी रोड, फूप, भिण्ड म. प्र. भागीदारी फर्म से सेवानिवृत्त हुये हैं और भागीदारी फर्म में श्री चंद्रान्शु राव पुत्र श्री अंशुमाली राव चौबे निवासी:-अन्धवा हाऊस कटरा मामूर खां, इटावा (उ. प्र.) भागीदार क्रं. 04 के रूप में सम्मिलित हुये हैं। अतः वर्तमान भागीदारी फर्म में पूर्णागिरी फूड इण्डस्ट्रीज पता-574/25 बरूआ नगर लहार रोड, भिण्ड म. प्र. के भागीदार क्र. 01 श्री अमित कुमार द्विवेदी पुत्र श्री संतोष कुमार द्विवेदी निवासी 574/25 बरूआ नगर लहार रोड, भिण्ड म. प्र. और भागीदार क्र. 04 श्री चंद्रान्शु राव पुत्र श्री अंशुमाली राव चौबे निवासी:-अन्धवा हाऊस कटरा मामूर खां, इटावा (उ. प्र.) है। अतः किसी भी भागीदार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति फर्म के रजिस्टर्ड पते पर दस दिन के अन्दर लिखित दर्ज कराये।

कृते मै. पूर्णागिरी फूड इण्डस्ट्रीज

अमित कुमार द्विवेदी

(भागीदार ).

(G 91)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स भाग्यश्री ऑटो सेंटर पंजीयन क्रमांक 01/08/02/0286/16 सन् 2016-2017 पता—छीपानेर रोड हरदा, जिला हरदा म. प्र. के भागीदारी विलेख का भंग (विघटन) किया जाता है। जिसका विवरण निम्नानुसार है, श्री जयसिंह मौर्य पिता स्व. श्री गुलाबसिंह मौर्य पता—छीपानेर रोड हरदा, जिला हरदा म. प्र. की मृत्यु दिनांक 13-10-2020 को हो गई है। उक्त दिनांक के बाद फर्म का संचालन श्री हिमांशु मौर्य प्रोपराइटर के रूप में संचालन करेंगे। दिनांक 13-10-2020 से फर्म को भंग (विघटन) किया जाता है।

For-M/s BHAGYASHRI AUTO CENTER

Himanshu Singh Mourya

(Partner).

(G 92 )

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स सिलिकॉन इंफ्रावेंचर्स जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0281/20 व पंजीयन दिनांक 18-02-2020 तथा पंजीकृत पता 211 अनूप नगर ग्राउंड फ्लोर इंदौर, जिला इंदौर है जिसमें भागीदारी के समय तीन भागीदार (1) श्री भूपेश संघवी पिता श्री जयंतिलाल जी संघवी (2) श्री श्वेतांक श्रीमाल पिता श्री पवन श्रीमाल (3) श्री पवन श्रीमाल पिता स्व. श्री किरणमल श्रीमाल थे. दिनांक 25-11-2021 को फर्म में एक नए भागीदार श्री विशाल पटेल पिता श्री जगदीश पटेल शामिल हो गए तथा फर्म के एक भागीदार श्री पवन श्रीमाल पिता स्व. श्री किरणमल श्रीमाल निजी कारणों से फर्म से रिटायर हो गए. अतः वर्तमान में फर्म में शेष तीन भागीदार हैं जो इस प्रकार हैं:—(1) श्री भूपेश संघवी पिता श्री जयंतिलाल जी संघवी (2) श्री श्वेतांक श्रीमाल पिता श्री पवन श्रीमाल (3) श्री विशाल पटेल पिता श्री जगदीश पटेल हैं जो आमजन व सर्वजन को सूचित हो.

फर्म-मेसर्स सिलिकॉन इंफ्रावेंचर्स  
श्वेतांक श्रीमाल ( भागीदार )  
पता 284-285 साकेत नगर, इंदौर.

(G 93)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स आर. पी. ओवरसीज बिरला भवन रूई की मण्डी मुरैना, जिला-मुरैना में स्थित है जिसका पंजीयन क्र. 02/44/01/0027/19, दि. 27-04-2019 है जिसमें दिनांक 11-11-2021 को नवीन भागीदार के रूप में श्री प्रमोद कुमार मोदी पुत्र श्री देवी प्रसाद मोदी निवासी-मोदी ऑफसेट जीवाजी गंज मुरैना सम्मिलित हो रहे हैं एवं दिनांक 11-11-2021 को भागीदार श्री राहुल गर्ग पुत्र श्री विशन गर्ग नि. प्रेम प्रकाश आश्रम के पीछे सिंधी कॉलोनी, मुरैना स्वेच्छा से पृथक हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स आर. पी. ओवरसीज,  
पवन बंसल ( भागीदार )  
बिरला भवन रूई की मण्डी मुरैना, जिला-मुरैना.

(G 94)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सिद्धी विनायक बायोफ्यूल्स पता-एफ-2, एफ-15, इंडस्ट्रीयल एरिया जरेरूआ मुरैना, में स्थित है जिसका पंजीयन क्र. 02/44/01/0173/17 एवं दिनांक 23 सितम्बर 2017 है जिसमें भागीदार के रूप में दिनांक 13-08-2018 को भागीदार श्री यादवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री धाप शर्मा निवासी-गोपी नाथ की पुलिया मुरैना एफ श्री दीपक गोयल पुत्र श्री राकेश कुमार गोयल निवासी-आदर्श मिलरोड बहोड़ापुर, ग्वालियर सम्मिलित हो रहे हैं एवं दिनांक 31-12-2019 को भागीदार श्री यादवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री धाप शर्मा निवासी-गोपीनाथ की पुलिया मुरैना एवं श्री दीपक गोयल पुत्र श्री राकेश कुमार गोयल निवासी-आदर्श मिलरोड बहोड़ापुर, ग्वालियर स्वेच्छा से पृथक हो रहे हैं एवं दिनांक 04-09-2021 को भागीदार के रूप में श्री प्रदीप गर्ग पुत्र श्री सुरेश गर्ग निवासी-ए-70 आनन्द नगर बहोड़ापुर ग्वालियर एवं श्री अमन गर्ग पुत्र श्री विष्णु गर्ग निवासी-आनन्द नगर बहोड़ापुर ग्वालियर को फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 04-09-2021 को श्री घनश्याम गोयल पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल निवासी खेरागढ़, आगरा (उ. प्र.) श्री सुनिल कुमार गर्ग पुत्र श्री हरीश गर्ग निवासी-कहर गली प्याड के पास बाडी, जिला-धौलपुर एवं श्री अभिनव गर्ग पुत्र श्री मुकेश कुमार गर्ग निवासी-मलक पाडा बाडी धौलपुर फर्म में स्वेच्छा से पृथक हो रहे हैं आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स सिद्धी विनायक बायोफ्यूल्स,  
प्रदीप गर्ग ( भागीदार )  
मुरैना.

(G 95)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शिखर पोल इंडस्ट्रीज, रजिस्टर्ड फर्म जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0361/2020, पंजीकृत दिनांक 10 जनवरी 2020, पंजीकृत पता—47-ए, इंडस्ट्रीयल एरिया, अचारपुरा, भोपाल, के भागीदार विलेख में परिवर्तन किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है. श्रीमति ममता वागद्रे पत्नी श्री अखिलेश वागद्रे, उम्र 42 वर्ष, पता-बी-298, जे. के. रोड सुपर डीलक्स 20 के आगे, ओल्ड मीनाल रेसीडेंसी, हूजूर, भोपाल-462023 को दिनांक 02 जुलाई 2021 को फर्म मेसर्स शिखर पोल इंडस्ट्रीज का नया भागीदार बनाया गया है.

SHIKHAR POLE INDUSTRIES

शिल्पी रिछारिया

एचआईजी-58 बी, सुखसागर, फेस-2, नरेला शंकरी, भोपाल (म. प्र.).

(G 96)

### आम सूचना

आमजनता को सूचित किया जाता है कि फर्म सोनीलाल फकीरचंद गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर म. प्र. के भागीदार श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल आत्मज स्व. श्री सोनीलाल अग्रवाल निवासी गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर म. प्र. का दिनांक 27-04-2021 को स्वर्गवास हो गया है. तत्पश्चात फर्म भागीदारी पुर्नगठन का विलेख दिनांक 28-04-2021 को लिखित कर लिया गया है.

आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित.

(फर्म-सोनीलाल फकीरचंद)

अमरनाथ अग्रवाल

पी. सी. अग्रवाल

रजनी अग्रवाल

(पार्टनर)

गोटेगांव.

(G 97)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स-रतिलाल मानेकजी (Ms. RATILAL MANEKJI) जिसका पंजीयन क्रमांक-1013/1962 व पंजीयन दिनांक 22-11-1962 तथा पंजीकृत पता—शनवारा, जिला बुरहानपुर है, जिसमें 01 अप्रैल 2007 को डीड अनुसार पांच भागीदार (1) श्रीमती धनलक्ष्मी पत्नी दिनेश (2) श्री केतन पुत्र दिनेश, (3) श्री दिनेश पुत्र रतिलाल कर्ता ऑफ एच.यु.एफ. (4) श्रीमती पारुल पत्नी केतन, (5) श्री जॉनसन पुत्र दिनेश थे, जिसमें से श्री दिनेश पुत्र रतिलाल कर्ता ऑफ एच.यु.एफ. ने फर्म से रिटायर होने की इच्छा प्रकट की, जिसे शेष भागीदारों ने स्वीकार कर लिया तथा सभी भागीदारों द्वारा श्री दिनेश पुत्र रतिलाल को व्यक्तिगत रूप से फर्म में भागीदार बना लिया. इसके पश्चात् दिनांक 31 दिसम्बर 2020 को (1) श्रीमती धनलक्ष्मी पत्नी दिनेश, (2) श्रीमती पारुल पत्नी केतन, (3) श्री जॉनसन पुत्र दिनेश ने फर्म से रिटायर होने की इच्छा प्रकट की, जिसे शेष भागीदारों ने स्वीकार कर लिया. इसी बीच दिनांक 30-03-2021 को श्री दिनेश शाह की मृत्यु हो गई. इसलिए तत्काल दो नये पार्टनर मेहुल मैसेरी एवं कुशल मैसेरी के साथ साझेदारी की गई.

अतः वर्तमान में फर्म में शेष तीन भागीदार (1) श्री केतन शाह पुत्र दिनेश शाह, (2) मेहुल मैसेरी, (3) कुशल मैसेरी हैं, जो आमजन व सर्वजन को सूचित हों.

फर्म—मैसर्स—रतिलाल मानेकजी

केतन शाह

(भागीदार)

पता—शनवारा, जिला बुरहानपुर.

(G 98)



## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयक, लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक/02/वी-113(1)/2020-21

टीकमगढ़, दिनांक 15 दिसम्बर 2021

एतद द्वारा समस्त नगर/ग्राम वासी टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि श्री भगवान परशुराम धर्म सेतू लोकन्यास टीकमगढ़ अध्यक्ष श्री ज्ञानप्रकाश मिश्रा पुत्र स्व.श्री गिरजाप्रसाद मिश्रा टीकमगढ़ द्वारा आवेदन मे वर्णित न्यास/न्यासीगण एतद द्वारा म0प्र0लोक न्यास अधिनियम 1951(1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत "श्री भगवान परशुराम धर्म सेतू लोकन्यास टीकमगढ़ के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है अन्तर्गत परिशिष्ट-1 मे दर्शित अचल सम्पत्ति एवं परिशिष्ट-2 मे दर्शित चल सम्पत्ति के संबंध मे जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ती हो वह अपनी आपत्ती स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 31.12.2021 तक मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज जारी

#### पाराशाष्ट-1

(लोक न्यास ओर अचल सम्पत्ती का विवरण)

लोक न्यास का नाम :-  
अचल सम्पत्ति:-

"श्री भगवान परशुराम धर्मसेतू लोकन्यास टीकमगढ़"  
निरंक

#### परिशिष्ट-2

(चल सम्पत्ती का विवरण)

चल सम्पत्ति:-

क्रमांक	चल सम्पत्ति विवरण	क्रमांक	चल सम्पत्ति विवरण
1	भगवान परशुराम जी की मूर्ती - एक	12	तखत-एक
2	घंटी- एक	13	आसन-एक
3	अलमारी स्टील-एक	14	आरती-एक
4	कुर्सी-10	15	अखण्ड ज्योति-एक
5	टैबिल-एक	16	यज्ञ पात्र-एक
6	फर्ष-दो	17	चम्मच-एक
7	पालकी स्टील- एक	18	घड़ी-एक
8	फर्स -एक	19	पंचपात्र-चार
9	थाली -एक	20	गद्दा -पाँच
10	लोटा -एक	21	स्टील टंकी-एक
11	गिलास-10	22	नगद राशि-एक लाख

सौरभ मिश्रा, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-99)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास अनुभाग जिला  
अशोकनगर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक/001बी-113(4)-2021-22

(नियम जांच 1 देखिये)

(म0प्र0 सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक अशोकनगर जिला अशोकनगर के समक्ष यह कि आवेदक ओझा धर्मशाला समाज ट्रस्ट अशोकनगर द्वारा अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा पुत्र श्री रामगोपाल ओझा एवं सचिव श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बाबूराम ओझा, ग्राम बरखेडी तहसील व जिला अशोकनगर का लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है। एतद् द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है।

किसी आपत्ति का सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 07 दिवस के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1. वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा पिता श्री राम गोपाल ओझा ग्राम बरखेडी तहसील व जिला अशोकनगर ओझा धर्मशाला समाज ट्रस्ट अशोकनगर जिला अशोकनगर (म0प्र0)।
2. चल सम्पत्ति रूपया-71570-(इकत्तर हजार पांच सौ सत्तर रूपये)।
3. अचल सम्पत्ति ग्राम बरेखडी तहसील व जिला अशोकनगर में सर्वे नम्बर 131/2मिन5 में से रकबा 0.022 हे0 एवं सर्वे नम्बर 139/1 रकबा 0.083 हे0 कुल किता 02 रकबा 0.105 हे0।

रवि मालवीय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(G-100)

कार्यालय, उप-पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिपरिया

रा.प्र. क्र. 01-बी-113-2020-21

मौजा पचमढी, तहसील पचमढी

### सूचना पत्र

(म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) द्वारा)

लोक न्यासों के पंजीयन पिपरिया जिला होशंगाबाद के समक्ष आवेदक श्री प्रमोद शर्मा आ0 बृंदावनलाल शर्मा पता शर्मा मेडिकल स्टोर सांडिया रोड पिपरिया एवं अन्य न्यासधारियों की ओर से टाउन क्लब म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये प्रस्तुत किया जाकर "टाउन क्लब" के नाम से लोक न्यास का पंजीयन किया जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

एतद् द्वारा सूचना दिया जाता है कि इस आवेदन पर 2021 के 12 माह कि 24 दिनांक पर मेरे न्यायालय में विचार लिया जाएगा। किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या जो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम एवं पता व संपत्ति का विवरण)

#### टाउन क्लब, पचमढी, छावनी क्षेत्र

पचमढी छावनी क्षेत्र स्थित पिपरिया मार्ग सर्वे क्रमांक 93/30 क्षेत्रफल 10,299 वर्गफुट भूमि

"टाउन क्लब", प्रबंधक कलेक्टर महोदय होशंगाबाद से दर्ज है।

अध्यक्ष	—	शिवदयालसिंह जी चौधरी आ0 बृजमोहन चौधरी,
उपाध्यक्ष	—	श्री ज्ञानेन्द्रसिंह आ0 मेरूसिंह ठाकुर,
सचिव	—	सतीश राय आ0 श्री श्रीलाल राय
कोषाध्यक्ष	—	श्री प्रमोद शर्मा आ0 बृंदावनलाल शर्मा

दिनांक 1 दिसम्बर 2021

नितिन टाले, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-101)

रा.प्र. क्र. 02-बी-113-2020-21

मौजा पलियापिपरिया, तहसील बनखेडी

**(म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) द्वारा)**

लोक न्यासों के पंजीयन पिपरिया जिला होशंगाबाद के समक्ष आवेदक न्यासकर्ता माधवदास अग्रवाल आ0 श्री नारायण दास अग्रवाल नि0 मोहता प्लाट तिलक बार्ड पिपरिया एवं अन्य न्यासधारियों की ओर से "गोविन्दनगर ग्रामोद्योग संस्थान गोविन्द नगर पलिया पिपरिया तह0 बनखेडी" म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये प्रस्तुत किया जाकर "गोविन्दनगर ग्रामोद्योग संस्थान गोविन्दनगर पलिया पिपरिया तह0 बनखेडी" के नाम से लोक न्यास का पंजीयन किया जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

एतद् द्वारा सूचना दिया जाता है कि इस आवेदन पर 2021 के .....1.2.... माह कि 24....दिनांक पर मेरे न्यायालय में विचार लिया जाएगा। किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या जो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

**अनुसूची**

(लोक न्यास का नाम एवं पता व संपत्ति का विवरण)

**"गोविन्दनगर ग्रामोद्योग संस्थान गोविन्दनगर पलियापिपरिया तह0 बनखेडी"  
प्रबंधक कलेक्टर महोदय होशंगाबाद से दर्ज है।**

अध्यक्ष	—	श्री भागीरथ आ0 फूलसिंह चौधरी
उपाध्यक्ष	—	श्री ज्ञानसिंह आ0 मेरूसिंह ठाकुर ,
सचिव	—	श्री माधवदास अग्रवाल आ0 नारायण दास अग्रवाल
कोषाध्यक्ष	—	श्री चाणक्य पिता श्री हरवंश बख्शी

दिनांक 1 दिसम्बर 2021

नितिन टाले, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-102)

## कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग देवास मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 6 दिसम्बर 2021

क्र. 456 -रीडर-2021.

[ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 5 (2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम 1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत ]

अध्यक्ष श्री कृष्णगोपालदासजी महाराज पिता गरूड़दासजी महाराज, निवासी पंचमुखी धाम, नवा कुंआ, ग्राम आगरोद तहसील व जिला देवास द्वारा इस न्यायालय में समक्ष में उपस्थित होकर " श्री गरूड़दासजी महाराज ध्यान योग साधना एवं सेवा न्यास", पंचमुखी धाम, नवा कुंआ, ग्राम आगरोद तहसील व जिला देवास के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा पत्र उद्देश्य, नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है। ट्रस्ट पंजीयन के सम्बन्ध में पंजीयन शुल्क राशि रुपये 5/- की चालान की प्रति के साथ संलग्न की गई है।

अतः " श्री गरूड़दासजी महाराज ध्यान योग साधना एवं सेवा न्यास", पंचमुखी धाम, नवा कुंआ, ग्राम आगरोद तहसील व जिला देवास के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति पेशी दिनांक 07.01.2021 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयवाधि के पश्चात प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

आज दिनांक 06.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

प्रदीप कुमार सोनी, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(G-103)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी, इन्दौर क्षेत्र, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

क्र. 662- रीडर-1-2021.

जूनी, इन्दौर, दिनांक 13 दिसम्बर 2021

## फार्म चार

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत ]

विद्यापूर्ण चेरिटेबल फाउण्डेशन पता- पी-1, प्री प्रिमियर, प्लाट नं. 77, शक्ति नगर, पिपल्याहाना, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति, जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह, अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

## परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

विद्यापूर्ण चेरिटेबल फाउण्डेशन पता- पी-1, प्री प्रिमियर, प्लाट न. 77, शक्ति नगर, पिपल्याहाना, इन्दौर

अचल सम्पत्ति : निरंक  
चल सम्पत्ति : रुपये 51,000/- (अक्षरी रुपये ईक्यावन हजार मात्र)

आज दिनांक . . . . .को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-104)

क्र. 744- रीडर-1-2021.

जूनी, इन्दौर, दिनांक 3 जनवरी 2022

#### फार्म चार

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत ]

श्री मिशन शिफा ए रहमानी ट्रस्ट पता- 212-213, अकबर अली काम्पलेक्स, पलासिया, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति, जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह, अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

श्री मिशन शिफा ए रहमानी ट्रस्ट पता- 212-213, अकबर अली काम्पलेक्स, पलासिया, इन्दौर

अचल सम्पत्ति : निरंक  
चल सम्पत्ति : रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र)

आज दिनांक 3 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-105)

क्र. 754- रीडर-1-2021.

जूनी, इन्दौर, दिनांक 4 जनवरी 2022

#### फार्म चार

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत ]

कमलेश्वर महादेव धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास पता- कमलेश्वर महादेव मंदिर के प्रवचन हाल, रविन्द्र नगर, ओल्ड पलासिया, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह, अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

कमलेश्वर महादेव धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास पता- कमलेश्वर महादेव मंदिर के प्रवचन हाल, रविन्द्र नगर, ओल्ड पलासिया, इन्दौर

अचल सम्पत्ति : निरंक  
चल सम्पत्ति : रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र)

आज दिनांक . . . . .को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-106)

अंशुल खरे, रजिस्ट्रार.

## न्यायालय पंजीयक सार्वजनिक लोक न्यास बुरहानपुर (म0प्र0)

(नियम पांच -1 देखिए)

(म.प्र.) सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत)

प्रकरण क्र. बी/113/2021-22

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर जिला बुरहानपुर के समक्ष रजा एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट मामू कॉलोनी लालबाग तहसील बुरहानपुर व जिला बुरहानपुर द्वारा श्री कमरुद्दीन पिता अमीन उद्दीन निवासी नंबर 45 चित्रा टॉकिज के पास गुलाबगंज बुरहानपुर एवं जिला बुरहानपुर एवं का लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए " लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया। एतद द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पत्र दिनांक 14.07.2020 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता संपत्ति का विवरण)

- 1- रजा एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट मामू कॉलोनी लालबाग तहसील व जिला बुरहानपुर
- 2- वर्किंग ट्रस्टी श्री कमरुद्दीन पिता अमीन उद्दीन निवासी नंबर 45 चित्रा टॉकिज के पास गुलाबगंज बुरहानपुर एवं जिला बुरहानपुर
- 3- चल संपत्ति - 1000/-
- 4- अचल संपत्ति - निरंक

के. आर. बडोले, पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं सार्वजनिक न्यास पंजीयक हटा, जिला दमोह  
हटा, दिनांक 4 जनवरी 2022

रा.प्र. क्र. 01-ब-113 वर्ष 2021-22

प्रारूप क्रमांक-4  
(नियम-5/1 देखिये)

श्री नरेन्द्र कुमार पिता परषोत्तम लाल गौतम  
निवासी शास्त्री वार्ड हटा तहसील हटा

....आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन  
पंजीयक सार्वजनिक न्यास हटा जिला दमोह

(मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1961 का नियम 5-1 के द्वारा)

यह कि आवेदक श्री नरेन्द्र कुमार पिता परषोत्तम लाल गौतम साकिन शास्त्री वार्ड हटा तहसील हटा जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत आवेदन दिनांक 08/03/2019 प्रस्तुत कर अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये निवेदन किया गया है एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र दिनांक 04/02/2022 को दिन 12 दोपहर को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

अतएव सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति, दावा पेश करना चाहते हैं तो वे उक्त नियत तिथि को इस न्यायालय में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में आपत्ति स्वतः या अपने अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत अवधि के उपरांत प्राप्त दावा/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

1. लोक न्यास का नाम,पता:— मंदिर श्री हनुमान जी बांके मौजा कुमी तहसील पटेरा जिला दमोह।
2. सम्पत्ति का विवरण:—
  - (अ) ग्राम कुमी हल्का नंबर 4 राजस्व निरीक्षक मंडल लुहारी तहसील पटेरा में स्थित भूमि ख.न. 435 रकबा 2.41 हे.।
  - (ब) मंदिर चबूतरा सहित 20X20 वर्गफीट में निर्मित, मंदिर प्रांगण में एक पक्का कमरा 20X12 वर्गफीट तथा एक रसोई घर 6X6 वर्गफीट, मंदिर परिसर का कुल रकबा 0.40 हे. पडत रकबा 0.20 हे. शेष कृषि योग्य भूमि।
  - (स) मंदिर में अष्टधातू की लक्ष्मीनारायण की मूर्ति, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी की मूर्ति तथा हनुमान जी की पत्थर की मूर्ति।
3. मंदिर की कृषि भूमि की कीमत 300000/—तीस लाख रूपया, कृषि से वार्षिक आय लगभग 200000/—अंकन दो लाख रूपये।

गगन बिसेन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व.) एवं पंजीयक लोक न्यास.



न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

दिनांक 27 दिसम्बर 2021

क्रमांक-870-री.-एसडीओ.-ट्रस्ट-2021.

(मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5(2) एवं पब्लिक ट्रस्ट नियम 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत )

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अनूपपुर, जिला -अनूपपुर (म.प्र.)

—00—

जैसा कि श्री सांईराम चैरिटेबिल ट्रस्ट अनूपपुर जिला-अनूपपुर (म.प्र.) ने मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा -4 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है ।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदनपत्र मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2022 को विचार किया जावेगा । कोई भी व्यक्ति द्वारा ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के माध्यम से या अधिवक्ता के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है । उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

अनुसूची

1.ट्रस्ट का नाम -श्री सांईराम चैरिटेबिल ट्रस्ट अनूपपुर जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

पता-श्री सांई राम मंदिर ( चैरिटेबिल ट्रस्ट) जमुनिहाटोला, वार्ड क.11 अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

2.अचल सम्पत्ति- देव विग्रह स्थापना स्थल एवं उक्त स्थल पर बना दो मंजिला मकान ।

(ग्राम अनूपपुर स्थित आराजी नं.632/11/घ रकवा 0.016हे. )

3.चल सम्पत्ति- श्रीसांई भगवानजी, श्री हनुमतललाजी, श्री गणेशजी, श्री लक्ष्मीजी, श्री दुर्गाजी, श्री नवगृह देवता, एवं श्री शनिदेवजी का विग्रह, आभूषण, श्रंगार सामग्री, पीतल की छोटीबडी घण्टी, चांदी का छत्र, पूजा सामग्री, लाउड स्पीकर सेट, बिजली चलित ध्वनि विस्तारक यंत्र, दान पेटी, गैस चूल्हा, पानी की टंकी एवं भण्डारे के कार्य में उपयोग होने वाले बर्तन आदि (मूल्य उल्लिखित नहीं, -

कमलेश पुरी अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट

(G-109)

कार्यालय पंजीयन लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन (म.प्र.)

उज्जैन, दिनांक 6 जनवरी 2022

प्रकरण क्रमांक-0001-बी-113-2021-22-38.

प्रारूप-चार  
(नियम-5) 1 (देखिए)  
सूचना-पत्र

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1959 (1951 का 30)की धारा 5-की उपधारा (2)मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए ।

पंजीयक,  
लोकन्यास,  
उज्जैन जिला उज्जैन के समक्ष

चूंकि आवेदक अध्यक्ष/घोषणाकर्ता भेरूलाल पिता मांगीलाल पाटीदार आदि 14, समस्त निवासीगण ग्राम बोलासा, तहसील व जिला उज्जैन ने म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951) का 30 (की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 13.08.2021 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस उज्जैन का विचार के लिए लिया गया।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती हैं ।

अतः मैं पंजीयक लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर उज्जैन जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 13.08.2021 को उक्त अधिनियम की धारा -5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता ओर कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा ।

--:अनुसूची :-

(लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता )

न्यास का नाम :- " पाटीदार समाज समग्र विकास ट्रस्ट, "  
कार्यालय :- " पाटीदार समाज समग्र विकास ट्रस्ट, पाटीदार समाज धर्मशाला ग्राम बोलासा  
तहसील व जिला उज्जैन .  
अचल संपत्ति :- कोई नहीं  
चल संपत्ति :- नगद राशि रू0 50,000/-

गोविंद दुबे, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग पुनासा  
जिला खंडवा (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक-00 -बी-113(1)-2021-22

प्रारूप चार  
विज्ञप्ति

(म.प्र.) सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2), एवं म.प्र. सार्वजनिक न्यास  
नियम 1962, के नियम 5 (1), के अन्तर्गत)  
दिनांक 16.11.2021 को जारी

आवेदक श्री हिम्मतसिंह पिता प्रहलादसिंह निवासी ग्राम इंधावडी तह. पुनासा  
जिला खंडवा वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष द्वारा " श्री राम दरबार न्यास ग्राम इंधावडी तह.  
पुनासा जिला खंडवा म.प्र. का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु म0प्र0 पब्लिक  
ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के तहत आवेदन पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु  
निवेदन किया गया। एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा  
न्यायालय मे दिनांक 10.12 .2021 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो  
और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक  
माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियो मे प्रस्तुत कर सकता है। और वह स्वयं अथवा  
अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति  
के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

- अनुसूची -

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता:- "श्री राम दरबार न्यास ग्राम इंधावडी तह.  
पुनासा जिला खंडवा म.प्र.  
पता:- "श्री राम दरबार न्यास ग्राम इंधावडी तह.  
पुनासा जिला खंडवा म.प्र.

-अनुसूची "अ" -

चल संपत्ति :- नगद - 1000-00 रूपये

-अनुसूची "ब" -

अचल संपत्ति:- - निरंक -

चन्द्रसिंह सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, जोबट,  
जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश**

प्र.क्र.-0001-B-113-2021-22

फार्म नंबर-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5(1) के अंतर्गत]

नोटिस

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट जोबट के समक्ष

आवेदक राजेन्द्र सीताराम टवली, अध्यक्ष, गायत्री गोपाल गो शाला ट्रस्ट, ग्राम जोबट, तसहील जोबट, जिला अलीराजपुर द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत "गायत्री गोपाल गो शाला ट्रस्ट" ग्राम जोबट को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन करने बाबद् आवेदन-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस प्रकाशन के 01 माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों में मेरे समक्ष या तो स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा अभिभाषक के जरिये कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किए जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 14 दिसम्बर 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

**श्यामबीर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट.**

(G-112)

**अन्य सूचनाएं**

**कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सागर वन वृत्त सागर, मध्यप्रदेश**

सागर वन वृत्त के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में उत्तर एवं दक्षिण वनमंडल सागर में बीना परियोजना के अंतर्गत विदोहन से प्राप्त एवं आंधी तूफान से उखड़े वृक्षों की इमारती काष्ठ/ काष्ठ जलाऊ को निर्धारित डिपो तक परिवहन करने हेतु परिवहन समूहों की निविदा आमंत्रित की जाती है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्राप्त निविदा वन वृत्त कार्यालय सागर में निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निर्धारित कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क्र.	निविदा चक्र	संबंधित वनमंडल कार्यालय (उत्तर एवं दक्षिण वनमंडल सागर ) में निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय	वृत्त कार्यालय सागर में निविदा खुलने की तिथि एवं समय
1.	प्रथम निविदा	दिनांक 05.01.2022 को प्रातः 11:00 से दोपहर 2:00 बजे दिन तक।	दिनांक 05.01.2022 को 03:00 बजे दिन से।
2.	द्वितीय निविदा	दिनांक 10.01.2022 को प्रातः 11:00 से दोपहर 2:00 बजे दिन तक।	दिनांक 10.01.2022 को 03:00 बजे दिन से।
3.	तृतीय निविदा	दिनांक 17.01.2022 को प्रातः 11:00 से दोपहर 2:00 बजे दिन तक।	दिनांक 17.01.2022 को 03:00 बजे दिन से।
4.	नीलाम परिवहन समूह अवशेष रहने की स्थिति में।	दिनांक 21.01.2022 को प्रातः 11:00 बजे से वृत्त कार्यालय सागर में।	

निविदा की शर्तें परिवहन समूहों की सूची, टेण्डर फार्म एवं निविदा से संबंधित अन्य जानकारियों निविदा प्रकाशन होने के दिनांक से संबंधित वनमंडल के कार्यालय में कार्यलयीन दिवस व समय पर प्राप्त की जा सकती है। परिवहन समूह की विस्तृत जानकारी तथा निविदा फार्म विभागीय वेबसाइट (<https://mpforest.gov.in>) पर भी उपलब्ध रहेगी। टेण्डर फार्म वेबसाइट से सीधे डाऊनलोड करने पर रु. 100/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/सी.डी.आर. जो संबंधित वनमंडल अधिकारी, उत्तर एवं दक्षिण वनमंडल सागर के नाम पर देय होगा, जमा करना होगा। निविदाकार के द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में यह माना जावेगा कि निविदाकार को निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। निविदाकार/बोलीदार को रु. 3000/- (तीन हजार रुपये मात्र) सत्यकार EMD की राशि जमा करने होगी।

निविदा/नीलाम के संबंध में अन्य जानकारी उत्तर वनमंडल सागर के कार्यालय दूरभाष क्रमांक 07582-236337 एवं दक्षिण वनमंडल सागर के कार्यालय दूरभाष क्रमांक 07582-236215 से ली जा सकता है एवं विभागीय वेबसाइट (<https://mpforest.gov.in>) पर भी देखी जा सकती है।

#### संक्षिप्त निविदा शर्तें :-

1. प्रत्येक परिवहन समूहों के लिये पृथक-पृथक निविदा निर्धारित फार्म में जमा करना होगी।
2. प्रत्येक परिवहन समूहों के लिये निविदा के साथ सत्यकार के रूप में रु. 3000/- (तीन हजार रुपये मात्र) की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/सी.डी.आर. संबंधित वनमंडल अधिकारी उत्तर एवं दक्षिण वनमंडल सागर के पक्ष में संलग्न करना होगा।
3. निविदाकार को प्रत्येक समूह में 600 घ.मी. इमारती लकड़ी, 1500 जलाऊ चट्टे के लिये कम से कम एक ट्रक परिवहन कार्य में लगाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा। जो निविदाकार के नाम पर पंजीकृत होना आवश्यक है। जिसके प्रमाण-पत्र के लिये आर.टी.ओ. का पंजीयन तथा फिटनेस प्रमाण-पत्र एवं वाहन के बीमा के कागजात संलग्न करना होगा।
4. परिवहनकर्ता का यह भी दायित्व होगा कि वह डिपो में परिवहन किये गये जलाऊ चट्टे निर्धारित आकार में बनाकर देना होगा।
5. परिवहनकर्ताओं को परिवहन समूह में अनुमानित मात्रा से अधिकतम 125 प्रतिशत तक वनोपज की मात्रा का परिवहन करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा की विस्तृत शर्तें, परिवहन समूह की सूची तथा परिवहन कार्य से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी उत्तर एवं दक्षिण वनमंडल सागर से किसी भी कार्यलयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। निविदाकार के द्वारा प्रत्येक निविदा के संबंध में दी गई जानकारी के आधार पर यह माना जावेगा कि निविदाकार को निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं।
7. निविदा में किसी भी प्रकार का वाद/विवाद होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम माना जावेगा।
8. परिवहनकर्ता हमाल रजिस्टर रखेंगे एवं हमालो की सूची संग्रहण करेंगे व सूची श्रम न्यायालय में देना होगा।
9. निविदाकार एक समूह के लिये पूरे मध्यप्रदेश में एक ही वाहन रखेगा।

## मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

मुख्य अभियन्ता (योजना एवं रूपांकन)

ब्लाक नं. 2 शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) 482008

### अधिसूचना

जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2022

क्र. 04-02/195/यो.रूपां./27.-यह कि केंद्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा-67 (2) एवं धारा 176 (2) ड. के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (डीमंड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अतिउच्चदाब विद्युत उपकेंद्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने, राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेंद्रों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने एवं विद्यमान पारेषण प्रणाली को सुदृढीकरण के उद्देश्य से 220 एवं 132 किलोवोल्ट पारेषण लाइनों एवं संबंधित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं।

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है :-

(1) नाम : ये परियोजनायें 220 एवं 132 किलोवोल्ट (केव्ही) लाइनों व संबंधित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी।

(2) परियोजनाओं का विवरण : परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लंबाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है :-

(I) महत्वपूर्ण विभागीय कार्य :

1. 220 के.व्ही. उपकेंद्र बुधनी(निर्माणाधीन) से सलकनपुर, जिला-सीहोर में प्रस्तावित 132 केव्ही उपकेंद्र तक 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई 2x28 कि.मी., अनुमानित लागत- 2648.07 लाख रु.

(II) उपभोक्ता सहभागिता कार्य :

1. 132 के.व्ही. उपकेंद्र चम्बल (गोविन्दपुरा) भोपाल से एबीडी क्षेत्र में भोपाल स्मार्ट सिटी विकास निगम के प्रस्तावित 132 केव्ही उपकेंद्र सुभाष नगर आरएसएस को विद्युत आपूर्ति हेतु अति उच्च दाब पावर केबल का उपयोग कर 132 के.व्ही. डबल-सर्किट अण्डर ग्राउण्ड पारेषण लाईन का निर्माण जो कि भोपाल शहर में 132 के.व्ही. उपकेंद्र चम्बल (गोविन्दपुरा) भोपाल से प्रारम्भ होकर, भोपाल-रायसेन रोड एन.एच.-86, पंचाबी बाग कालोनी, सुभाष नगर कालोनी रोड, एम.पी.ई.बी. केम्पस चम्बल (भोपाल), सुभाष नगर कालोनी, एस.बी.आई. शाखा अशोका गार्डन, अशोका पैलेस (सुभाष नगर), शहंशाह गार्डन कालोनी, शालीमार स्टलिंग फ्लेट, अर्जुन नगर, एच.पी. पेट्रोल पम्प, लाला लाजपत राय कालोनी, सेम(एसएसएम) गर्ल्स कालेज अशोका गार्डन, न्यू सुभाष नगर, प्रभात चौराहा (अशोका गार्डन), ओल्ड सुभाष नगर कालोनी, पद्मनाम नगर, भोपाल- होशंगाबाद रोड, इटारसी- भोपाल रेलवे लाइन, सुभाष नगर फलाई ओवर, सुभाष नगर रेलवे फाटक, जिन्सी चौराहा- हबीबगंज रोड, स्लाटर हाउस (जिन्सी चौराहा) से होकर सुभाष नगर डिपो आरएसएस तक जायेगी 0.1 कि.मी. टावर में + 2.30 कि.मी. (अण्डर ग्राउण्ड केबल्स) अनुमानित लागत- 2242.66 लाख रु. (पूर्व प्रकाशन का संशोधन)।

2. श्रीमती प्रेमलता चोपड़ा पत्नी-स्वर्गीय ललित प्रकाश चोपड़ा के विकास नगर, जिला-नीमच में स्थित परिसर से विस्थापन हेतु 132 केव्ही नीमच 132-विक्रम सीमेंट लाईन के लोकेशन क्रमांक 4 से 8 तक संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई 1X1.0 कि.मी., अनुमानित लागत - 108.07 लाख रु.।

3. डब्ल्यूसीआर जबलपुर की रीवा-सीधी नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण के फलस्वरूप 132 केव्ही रीवा-जेपी बधवार सीमेंट लाईन के लोकेशन क्रमांक 43 से 44 तक संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई 1X2 कि.मी., अनुमानित लागत - 130.47 लाख रु.।

4. मध्य रेलवे नागपुर द्वारा नागपुर-इटारसी रेलखंड में प्रस्तावित तृतीय एवं चतुर्थ रेलवे ट्रैक निर्माण के फलस्वरूप 132 केव्ही इटारसी-सिवनी मालवा लाईन के लोकेशन क्रमांक 11 से 20 तक संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई 2X2.40 कि.मी., अनुमानित लागत - 352.43 लाख रु.।

5. मध्य रेलवे नागपुर द्वारा नागपुर-इटारसी रेलखंड में प्रस्तावित तृतीय एवं चतुर्थ रेलवे ट्रैक निर्माण के फलस्वरूप 220 केव्ही इटारसी-बड़वाहा/हंडिया लाईन के लोकेशन क्रमांक 16 से 25 तक संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई 2X2.3 कि.मी., अनुमानित लागत - 234.47 लाख रु.।
6. 132 केव्ही डीसीडीएस मोतीझील-बामोर लाईन का एनसीआर झांसी द्वारा ग्राम बामोर के पास ग्वालियर - श्योपुरकलां रेलवे ट्रैक के गेज परिवर्तन के कारण लोकेशन क्रमांक 38 से 48 तक संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई 2X10.1 कि.मी., अनुमानित लागत - 834.43 लाख रु.।
7. मेसर्स राल्सन टायर लिमिटेड द्वारा स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, पीथमपुर, जिला-धार के प्लॉट क्रमांक 52 से 60 में प्रस्तावित औद्योगिक परिसर को 132 केव्ही उपकेंद्र नेट्रिप से विद्युत आपूर्ति हेतु 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई 1X2.8 कि.मी., अनुमानित लागत - 1377.81 लाख रु.।
8. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के ग्राम-टोंकी, तहसील-मनावर, जिला धार में विद्यमान संयंत्र को विद्युत की आपूर्ति हेतु अनुबंधित मांग में 25 एमव्हीए से वृद्धि कर 40 एमव्हीए किये जाने के प्रस्ताव के फलस्वरूप मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के उक्त संयंत्र को 132 केव्ही उपकेंद्र मनावर से विद्युत की आपूर्ति हेतु पूर्व में निर्मित 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन के द्वितीय परिपथ का निर्माण कार्य, लंबाई 1X6 कि.मी., अनुमानित लागत - 162.72 लाख रु.।
9. पश्चिम रेलवे द्वारा छोटा उदयपुर जिला-धार ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक के प्रस्तावित निर्माण के फलस्वरूप 400 केव्ही डीसीडीएस राजगढ़-सरदार सरोवर (एसएसपी) लाईन के लोकेशन क्रमांक 456 से 465 तक संशोधन विस्थापन का कार्य, लंबाई 2X1 कि.मी., अनुमानित लागत - 439.28 लाख रु.।
10. नर्मदा विकास संभाग-8 सनावद, जिला-खरगौन (एन.व्ही.डी.ए.) के नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना (एनकेएलपी) के अंतर्गत पंप हाउस-1 एवं 2 (ग्राम-बडोल, तहसील-बड़वाहा, जिला-खरगौन) को 220 केव्ही उपकेंद्र बड़वाहा, जिला-खरगौन से विद्युत आपूर्ति हेतु 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई 1X33 कि.मी., अनुमानित लागत- 3851.26 लाख रु. (पूर्व प्रकाशन का संशोधन)
11. नर्मदा विकास संभाग-8 सनावद, जिला-खरगौन (एन.व्ही.डी.ए.) के नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना (एनकेएलपी) के अंतर्गत पंप हाउस-3 एवं 4 को विद्युत की आपूर्ति हेतु 220 केव्ही उपकेंद्र चापड़ा से पंप हाउस-4 (ग्राम-धोब्यत्तर, तहसील-बागली, जिला-देवास), तक 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन एवं इसके आगे पंप हाउस-3 (ग्राम-अंजनखून्ट, तहसील-वागली, जिला-देवास)तक 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई 1X8+2 X30 कि.मी., अनुमानित लागत-5923.45 लाख रु. (पूर्व प्रकाशन का संशोधन)
12. नर्मदा विकास संभाग-8 सनावद, जिला-खरगौन (एन.व्ही.डी.ए.) के नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना (एनकेएलपी) के अंतर्गत पंप हाउस-5 (ग्राम- भानगढ़, तहसील-बागली, जिला-देवास) को 132 केव्ही उपकेंद्र शंकरगढ़ से विद्युत आपूर्ति हेतु 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई 1X6 कि.मी., अनुमानित लागत-461.25 लाख रु. (पूर्व प्रकाशन का संशोधन)
13. नर्मदा विकास संभाग प्राधिकरण, जिला-देवास (एन.व्ही.डी.ए.) के नर्मदा विकास संभाग-25, नर्मदानगर, जिला-देवास के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी)-पार्वती लिंक(चरण-1 एवं 2) के अंतर्गत सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना (माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन स्कीम) को विद्युत आपूर्ति से संबद्ध विद्युत प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु विद्यमान 132 केव्ही डीसीएसएस हंडिया-सतवास लाईन के द्वितीय परिपथ का निर्माण कार्य, लम्बाई 1X35 कि.मी., अनुमानित लागत-1718.67 लाख रु. (पूर्व प्रकाशन का संशोधन)
14. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवेज के निर्माण के फलस्वरूप 220 केव्ही डीसीडीएस औरैया-मालनपुर/मेहगाँव लाईन के लोकेशन क्रमांक 46 से 50 तक संशोधन/विस्थापन का कार्य, लम्बाई 2X2.2 कि.मी., अनुमानित लागत-498.30 लाख रु.
15. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सतना द्वारा ग्राम-चावर, जिला-सतना में प्रस्तावित उद्वहन सिंचाई परियोजना के उद्देश्य से 132 केव्ही उपकेंद्र अमरपाटन से 132 केव्ही पर 14 एमव्हीए विद्युत आपूर्ति हेतु 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई 1X27 कि.मी., अनुमानित लागत-3219.27 लाख रु.
16. नर्मदा विकास संभाग-30, मनावर के नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांवाला-सरदारपुर (एनजेपीटीएस) सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस-1 (ग्राम-चंदनखेड़ी) को 132 केव्ही उपकेंद्र कुक्षी (220 केव्ही में उन्नत) से विद्युत आपूर्ति करने हेतु 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई 1X14 कि.मी., अनुमानित लागत-1101.91 लाख रु.
17. नर्मदा विकास संभाग-30, मनावर के नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांवाला-सरदारपुर (एनजेपीटीएस) सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस-4 (ग्राम-चुनापिया) एवं पंप हाउस-3 (ग्राम-कांटी) को 220 केव्ही उपकेंद्र राजगढ़ (धार) से विद्युत आपूर्ति हेतु 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन का निर्माण एवं तत्पश्चात् पंप

हाउस-2 (ग्राम-खंडलाई) को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई 1X20 +2X32 कि.मी., अनुमानित लागत-7082.06 लाख रु.

(III) कुल अनुमानित लागत : उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 323.87 करोड़ है।

(3) टॉवर, खंभे, तार आदि लगाने का अधिकार :

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये अनुज्ञापतिधारियों का संकर्म नियम 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी। विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टावर, खंभे, तार, दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रखरखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के संबंध में प्राप्त हैं।

(4) एतद् द्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं।

एस.के. गायकवाड़,

मुख्य अभियंता (मा.संसा. एवं प्रशा.),  
मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड,  
शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर.

(G-114)



इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जनवरी 2022—माघ 1, शक 1943

## भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)